

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 22-01-2008

क्रमांक 179 / 1363 / आउशि / छात्रवृत्ति / 07-राज्य शासन की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शोध कार्य हेतु शोध छात्रवृत्ति वर्ष 2003-04 से प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2007-08 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के निम्नांकित विद्यार्थियों को शोध छात्रवृत्ति हेतु दिनांक 1.4.2007 से रुपये 5000/- (रुपये-पाँच हजार मात्र) एवं दिनांक 1.11.2007 से रुपये 8000/- (रुपये- आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति हेतु गठित समिति की अनुशंसा की तिथि से भुगतान करने की आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश की स्वीकृति एतद् द्वारा संवहित की जाती है। यदि किसी विद्यार्थी का इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त, अथवा राज्य शासन की कोई अन्य छात्रवृत्ति हेतु चयन किया गया हो तो उसे केवल एक ही छात्रवृत्ति पाने की पात्रता होगी। अर्थात् एक समय में एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। छात्रवृत्ति धारक जिस शोध कार्य के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है, उसके लिए कोई अन्य छात्रवृत्ति/बजीफा प्राप्त नहीं करेगा :-

क्र०	विद्यार्थी का नाम	संस्था का नाम	स्वीकृत राशि	छात्रवृत्ति की तिथि
		कला संकाय		
1.	कु० लवीना निनामा	श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति, इन्दौर	75000/-	1.4.2007
2.	श्री आनंद सिंह पटेल	वि. वि. उज्जैन	75000/-	1.4.2007
3.	श्री रायसिंह गाडरिया	शा.कन्या पीजी महा. मोती तबेला, इन्दौर	75000/-	1.4.2007
4.	श्री लोहार सिंह ब्राह्मणे	देवी अहिल्या वि वि इन्दौर	80000/-	1.4.2007
		सामाजिक विज्ञान संकाय		
1.	श्री रणजीत सिंह मेवाड़े	शा. पीजी महा. बड़वानी	75000/-	1.4.2007
		विज्ञान संकाय		
1.	कु० दीपा प्रसाद	डॉ० हरिसिंह गौर वि.वि.सागर	75000/-	1.4.2007
कुल योग रुपये -			4,55,000/-	

(रुपये - चार लाख, पचपन हजार मात्र)

उपरोक्त छात्रवृत्ति पंजीयन तिथि से तीन वर्ष तक अथवा शोध कार्य विश्वविद्यालय में जमा किये जाने के दिनांक तक जो भी पहले हो देय होगी। शोधार्थी की संतोषजनक प्रगति, नियमित उपस्थिति तथा आचरण ठीक होने तथा नियमों में चिन्हित शर्तें पूर्ण करने पर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जायेगा। अन्य किसी भी स्त्रोत से प्राप्त छात्रवृत्ति वाले छात्र को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। छात्रवृत्ति का भुगतान करने के पहले विद्यार्थी से यह घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जावे कि वे पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक सेवा में नहीं हैं। किसी भी विद्यार्थी द्वारा शोध कार्य अवधि में यदि शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में आ जाने से शोध छात्रवृत्ति की पात्रता समाप्त हो जावेगी।

Con.....2

Blahne 22/1/08

उपर्युक्त छात्रवृत्ति पर होने वाला व्यय शीर्ष 2007-08 के निम्नलिखित शीर्ष में विकलनीय होगा :-

अनुसूचित जनजाति

मांग संख्या -41-2202-सामान्य शि० (03)

विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (103)

आयोजनेत्तर वर्ष 2007-08

सरकारी कॉलेज और संस्थायें (8855)

पी.एच.डी. अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता-41

छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियों को विकलनीय होगा।

उक्त स्वीकृति के आधार पर छात्रवृत्ति के देयक संबंधित संभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा द्वारा एम.पी.टी.सी. 47 में बनाकर प्रतिहस्ताक्षर कर देयक कोषालय में प्रस्तुत करें तथा आहरण उपरांत संबंधित विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/संस्था प्रमुख के माध्यम से नियमानुसार भुगतान करें। विद्यार्थी से भुगतान प्राप्ति की पावती प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजें।

आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित।

(डॉ० अलकनंदा पलनीटकर)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

कार्या. आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल

पृ० क्रमांक 180 /1363/आउशि/छात्रवृत्ति/07
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 22-01-2008

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म०प्र। कृपया स्वीकृत छात्रवृत्ति के देयक कोषालय में प्रस्तुत कर आहरण करें तथा संबंधित विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/संस्था प्रमुख के माध्यम से उसका भुगतान करें।
4. संबंधित संस्था प्रमुख।
5. कोषालय अधिकारी, कोषालय वल्लभ भवन, भोपाल/ग्वालियर/इंदौर/जबलपुर एवं रीवा।
6. अतिरिक्त संचालक (बजट) कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा म०प्र०, भोपाल।
7. छात्रवृत्ति शाखा की लेखा ईकाई।

----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ० अलकनंदा पलनीटकर)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

कार्या. आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 22-01-2008

क्रमांक 177/1363/आउशि/छात्रवृत्ति/07-राज्य शासन की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शोध कार्य हेतु शोध छात्रवृत्ति वर्ष 2003-04 से प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2007-08 में अनुसूचित जाति वर्ग के निम्नांकित विद्यार्थियों को शोध छात्रवृत्ति हेतु दिनांक 1.4.2007 से रुपये 5000/- (रुपये-पाँच हजार मात्र) एवं दिनांक 1.11.2007 से रुपये 8000/- (रुपये-आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति हेतु गठित समिति की अनुशंसा की तिथि से भुगतान करने की आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश की स्वीकृति एतद् द्वारा संवहित की जाती है। यदि किसी विद्यार्थी का इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त, अथवा राज्य शासन की कोई अन्य छात्रवृत्ति हेतु चयन किया गया हो तो उसे केवल एक ही छात्रवृत्ति पाने की पात्रता होगी। अर्थात् एक समय में एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। छात्रवृत्ति धारक जिस शोध कार्य के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है, उसके लिए कोई अन्य छात्रवृत्ति/बजीफा प्राप्त नहीं करेगा :-

क्र०	विद्यार्थी का नाम	संस्था का नाम	स्वीकृत राशि	छात्रवृत्ति की तिथि
कला संकाय				
1.	श्री राजकुमार वर्मा	शा. टी.आर.एस. महावि. रीवा	75000/-	1.4.2007
2.	श्री गोविंद मसूरे	बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल	75000/-	1.4.2007
3.	श्री हितेन्द्र सिंह यादव	शास.एम.एल.बी. महा., ग्वालियर	75000/-	1.4.2007
4.	श्री रामस्वरूप साकेत	शा. टी.आर.एस. महावि. रीवा	75000/-	1.4.2007
सामाजिक विज्ञान संकाय				
1.	श्री शांतिलाल ईखार	शा. राजीव गांधी पी जी महा. मंदसौर	75000/-	1.4.2007
2.	श्री देवीलाल बामनियों	शा. राजीव गांधी पी जी महा. मंदसौर	75000/-	1.4.2007
3.	श्रीमती रजनी आर्य	शास.उत्कृष्ट महा., मुरैना	75000/-	1.4.2007
4.	श्री अशोक कुमार निगम	शा. पी.जी. महा. मुरैना	75000/-	1.4.2007
5.	श्री दशरथ प्रसाद साकेत	शा. टी.आर.एस. महावि. रीवा	75000/-	1.4.2007
6.	श्री संतोष कुमार साकेत	शा. टी.आर.एस. महावि. रीवा	75000/-	1.4.2007
7.	श्री देवेन्द्र सगर	शा. पी.जी. महा. अम्बाह(मुरैना)	35000/-	1.4.2007
8.	श्री पवन कुमार सोनिक	शा. टी.आर.एस. महावि. रीवा	75000/-	1.4.2007
विज्ञान संकाय				
1.	श्री राजेश कुमार लोखंडे	शास. एम.व्ही.एम, भोपाल	75000/-	1.4.2007
2.	श्री आशीष कुमार	रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर	75000/-	1.4.2007
3.	श्री रितेश सिंगारे	शास. एम.व्ही.एम, भोपाल	75000/-	1.4.2007
4.	श्री संतोष कुमार सूर्यवंशी	शास.आदर्श विज्ञान मा.रीवा	75000/-	1.4.2007
5.	श्री हरीसिंह बरहादिया	शा.विज्ञान महा. ग्वालियर	51000/-	1.4.2007
6.	श्री अशोक कुमार अहिरवार	डॉ० हरिसिंह गौर वि.वि.सागर	75000/-	1.4.2007
जीवविज्ञान संकाय				
1.	कु० सीमा वासनिक	शास. पीजी महा. सीहोर	75000/-	1.4.2007
2.	श्रीमती यामिनी कंडारिया 'पंवार'	शा.पी.जी. महा. महुँ	75000/-	1.4.2007
3.	श्री प्रमोद कुमार वर्मा	सेफिया पीजी महा. भोपाल	75000/-	1.4.2007
4.	कु० स्वाति खादीकर	शास.एम.व्ही.एम. भोपाल	75000/-	1.4.2007

Con...2

Handwritten signature
22/1/08

1/211

वाणिज्य संकाय

1. कु0 प्रतिभा तिलटिया

डॉ0 हरिसिंह गौर वि वि सागर 75000 /--

1.4.2007

कुल योग रूपये - 16,61,000 /--

(रूपये - सोलह लाख, इकसठ हजार मात्र)

उपरोक्त छात्रवृत्ति पंजीयन तिथि से तीन वर्ष तक अथवा शोध कार्य विश्वविद्यालय में जमा किये जाने के दिनांक तक जो भी पहले हो देय होगी। शोधार्थी की संतोषजनक प्रगति, नियमित उपस्थिति तथा आचरण ठीक होने तथा नियमों में चिन्हित शर्तें पूर्ण करने पर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जायेगा। अन्य किसी भी स्रोत से प्राप्त छात्रवृत्ति वाले छात्र को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। छात्रवृत्ति का भुगतान करने के पहले विद्यार्थी से यह घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जावे कि वे पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक सेवा में नहीं है। किसी भी विद्यार्थी द्वारा शोध कार्य अवधि में यदि शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में आ जाने से शोध छात्रवृत्ति की पात्रता समाप्त हो जावेगी।

उपर्युक्त छात्रवृत्ति पर होने वाला व्यय शीर्ष 2007-08 के निम्नलिखित शीर्ष में विकलनीय होगा :-

अनुसूचित जाति

मांग संख्या -64-2202-सामान्य शिक्षा (03)

विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (103)

सरकारी कॉलेज और संस्थायें (8855)

पी.एच.डी. अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता-41

छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियों को विकलनीय होगा।

आयोजनेत्तर वर्ष 2007-08

उक्त स्वीकृति के आधार पर छात्रवृत्ति के देयक संबंधित संभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा द्वारा एम.पी.टी.सी. 47 में बनाकर प्रतिहस्ताक्षर कर देयक कोषालय में प्रस्तुत करें तथा आहरण उपरांत संबंधित विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/संस्था प्रमुख के माध्यम से निम्नानुसार भुगतान करें। विद्यार्थी से भुगतान प्राप्ति की पावती प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजें।

आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित।

Ashwini
22/1/08

(डॉ0 अलकनंदा पलनीटकर)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

कार्या. आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22-01-2008

पू0 कमांक 178 / 1363 / आउशि / छात्रवृत्ति / 07
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म0प्र। कृपया स्वीकृत छात्रवृत्ति के देयक कोषालय में प्रस्तुत कर आहरण करें तथा संबंधित विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/संस्था प्रमुख के माध्यम से उसका भुगतान करें।
4. संबंधित संस्था प्रमुख।
5. कोषालय अधिकारी, कोषालय वल्लभ भवन, भोपाल/ग्वालियर/इंदौर/जबलपुर एवं रीवा।
6. अतिरिक्त संचालक (बजट) कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा म0प्र0, भोपाल।
7. छात्रवृत्ति शाखा की लेखा ईकाई।

----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Ashwini
22/1/08

(डॉ0 अलकनंदा पलनीटकर)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

कार्या. आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल